कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1803 /12–1 :देहरादूनःदिनांकः 04 जनवरी, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/09/2019/एफ0सी0/1056, दिनांक 23–12–2024। (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, जिसका प्रस्तावक विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निराकरण किया जाना अपेक्षित है। अतः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित 05 बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या–1803 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित 05 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

SK PC

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/09/2019/एफ.सी. 1056 दिनांकः As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद-पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के संबंध मे। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020).

सन्दर्भः कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2651/12-1: देहरादून: दिनांक 27-06-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. As per this office EDS dated 21.11.2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the State Government of Uttarakhand submitted that the Governor, Uttarakhand was withdrawal the Notification No. 869F/638 dated 17.10.1893 under Indian Forest Act 1878 as per State notification dated 28.09.2011 and hence was some construction activity has been done by User Agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08.01.2024 that such de-reservation is a violation of Van (Sansrakhan & Sarvardhan) Adhiniyam 1980. Comments from State Government is required to be submitted.
2. As per DSS analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.

प्रभारी पिथौरागढ़
आ० का० के०)

प्रे० व० कं०/ना०
2612-24

देहरादून
3537
13-8
28-12-24

3. Alternative alignment of road is not submitted. State Government is requested to submit the details of alternate alignment.
4. It is found that CA scheme is for only three years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and uploaded at designated place.
5. A proper SIR of DFO in revised format is required to be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 23-12-2024 12:28:51

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।